



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सेड़वा जिला बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्‍नोई आर.ए.एस)
(कोर्ट कैम्प का स्थान ग्राम पंचायत अरटी)

राजस्‍व आवेदन सं. 137 / 2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्‍व अधिनियम 1956 प्रार्थी हरुराम पुत्र चेनाराम बनाम तहसीलदार सेड़वा
आदेश

प्रार्थी हरुराम पुत्र चेनाराम निवासी विवेकानन्द नगर, द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्‍व अधिनियम 1956 प्रस्तुत मय दस्तावेज कर निवेदन किया है कि पटवार हल्का अरटी, राजस्‍व गांव विवेकानन्द नगर के खाता संख्या 42 के खसरा संख्या क्रमश 364 रकबा क्रमश 23.3746 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, जमाबन्दी सवत् 2076-79, में उनका नाम हरिराम पुत्र चेनाराम राजस्‍व अभिलेख में दर्ज हो गया है जबकि उनका शुद्ध नाम हरिराम पुत्र चेनाराम के स्थान पर हरुराम पुत्र चेनाराम है इस तरह उनका नाम ~~बदल~~ हरिराम पुत्र चेनाराम के स्थान पर हरुराम पुत्र चेनाराम दुरुस्त किया जावे।

अतः तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 18.09.2025 की अनुशंसा के आधार पर प्रार्थी हरुराम पुत्र चेनाराम निवासी विवेकानन्द नगर का पटवार हल्का अरटी, राजस्‍व गांव विवेकानन्द नगर के खाता संख्या 42 के खसरा संख्या क्रमश 364 रकबा क्रमश 23.3746 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, जमाबन्दी सवत् 2076-79 में प्रार्थी का नाम हरिराम पुत्र चेनाराम के स्थान पर हरुराम पुत्र चेनाराम करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार सेड़वा तदनुसार राजस्‍व अभिलेख में अमलदरामद कर आगामी 15 दिनों में पालना इस न्यायालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।



(बद्रीनारायण विश्‍नोई आर.ए.एस)

पीठासीन (SDO) उपखण्ड
अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर सेड़वा

दिनांक : 16/03/26

क्रमांक:- 163-65

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

7. तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशानुसार राजस्‍व रिकोर्ड में अमलदरामद की पालना रिपोर्ट भिजवायें।
8. प्रार्थी हरुराम पुत्र चेनाराम निवासी विवेकानन्द नगर, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
9. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
(SDO) सेड़वा

